

## 'मत पत्रों ( बैलेट पेपर ) को गिनने की पुरानी व्यवस्था, अब वापस नहीं आयेगी'

### सुप्रीम कोर्ट ने ई.वी.एम. मशीन के पक्ष में सख्त व साफ निर्णय लिया

—डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 26 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) में मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों का 100 प्रतिशत की.वी.पी.ए.टी. (की.वी.पैट) से सत्यापन कराने वाली मांग याचिका खारिज कर दी है इसके खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाए।

- प्र.मंत्री मोदी ने इस निर्णय की प्रशंसा की और कहा कि, कांग्रेस सरकारों ने कई दशकों तक सही मतदान नहीं होने दिया था, "बूथ कैप्चरिंग" होती थी तथा मतदाता को वोट डालने के लिये घर से निकलने नहीं दिया जाता था। पर, निर्धन व ईमानदार वोटर के पास ई.वी.एम. की ताकत है और विपक्ष न्यायालय का सहारा लेकर इस ताकत को नष्ट करना चाहता था।
- कांग्रेस ने पलट वार करते हुए कहा, क्या भाजपा नेता एल.के. अडवानी गलत थे, जब उन्होंने भाजपा समर्थक लेखक जी.वी.एल. नरसिम्हा राव की किताब का विमोचन किया था, जिस किताब में ई.वी.एम. मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाये गये थे।
- कांग्रेस ने यह भी कहा कि, गुजरात के मु.मंत्री के रूप में मोदी जी ने ई.वी.एम. मशीन का भरपूर विरोध किया था।

किया था, क्या अडवानी गलत थे। मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि, ई.वी.एम. के बारे में जनता के मन में शंका उत्पन्न करके प्रत्येक विपक्षी नेता ने "महा पाप" किया है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक रैली में भाषण देते वक्त कहा कि याचिका खारिज होने से "विपक्ष के सपने चकनाचूर हो गए हैं।" लोकसभा के सात चरणों वाले चुनावों की श्रृंखला में आज देशभर में द्वितीय चरण के मतदान में 88 सीटों पर वोट डाले गए। पी.एम. मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि, इन्होंने दशकों तक लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना एक सामान्य बात थी...यहां तक कि ये लोग जनता को वोट देने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे...अब जब कि गरीब और ईमानदार मतदाता के पास ई.वी.एम. की ताकत है तो वो सब मिलकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

प्रधानमंत्री मोदी से एक बात पूछना चाहता है कि एल.के. अडवानी ने भाजपा के एक नेता जी.वी.एल. नरसिम्हा राव द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया था जिसमें ई.वी.एम. की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा

### भाटी के भाई को चेतावनी

जैसलमेर, 26 अप्रैल (नि.सं.)। बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी के भाई को जैसलमेर पुलिस ने जिला से बाहर का मतदाता होने का हवाला देते हुए आचार संहिता के तहत जिला छोड़ने की हिदायत दी। आरोप है कि वे फतेहगढ़ पंचायत समिति के क्षेत्र में मतदाताओं को परेशान कर रहे थे।

- जैसलमेर पुलिस ने बाड़मेर-जैसलमेर सीट के निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी को जिला छोड़ने की चेतावनी दी, क्योंकि उन पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप है। भाटी के भाई क्षेत्र के मतदाता भी नहीं हैं।

लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र सिंह भाटी का भाई जैसलमेर का वोटर नहीं है और जैसलमेर में जगह-जगह घूम कर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भाटी के भाई से अपील की कि आप तुरंत इस जिला से बाहर चले जावे, आपका यहाँ पर रहकर मतदाताओं को प्रभावित करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, अन्यथा आपके खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

## बाड़मेर में प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट और फर्जी वोटिंग

### तमाम घटनाओं के बीच क्षेत्र में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ

बाड़मेर, 26 अप्रैल (नि.सं.)। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की। इस लोकसभा क्षेत्र में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर दर्जनों जगहों पर पोलिंग एजेंटों के साथ मारपीट, अभद्रता, फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग और समर्थकों के आपस में भिड़ने आदि की जानकारी सामने आई। लोगों ने सोशल मीडिया पर घटनाओं के वीडियो साझा कर पुलिस और प्रशासन से त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच जोधपुर रेंज के आई.जी. विकास कुमार भी बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि चार-पांच जगहों पर विवाद हुआ, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। कहीं पर भी मतदान बाधित नहीं हुआ। जिला

- मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही दर्जनों जगहों पर पोलिंग एजेंटों के साथ मारपीट, बंदसलूकी व फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग की खबरें और वीडियो आने लगे।
- पुलिस ने घटनाओं का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही शुरू की, जल्दी ही जोधपुर रेंज के आई.जी. विकास कुमार भी बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि, 5 जगहों पर विवाद हुआ था, पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की, जिससे मतदान बाधित नहीं हुआ।
- बायतू के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने तमाम घटनाओं पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर निर्वाचन अधिकारी के चैम्बर में धरना भी दिया। निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र भाटी ने हरीश चौधरी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया।
- दोपहर बाद शिव में एक बूथ पर रविन्द्र सिंह भाटी व कांग्रेस के उम्मेदराम बेनीवाल के समर्थकों में भिड़ंत हो गई और आधा घंटे तक मतदान भी रुका रहा।

निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने बताया कि सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही कंट्रोल रूम से पूरी नजर रखी जा रही थी। कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाओं के चलते आंशिक रूप से (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा धरने पर बैठे

### उचियारड़ा का आरोप है कि, बी.जे.एस. कॉलोनी के एक बूथ पर उनके बेटे के साथ धक्का-मुक्की की गई

जोधपुर, 26 अप्रैल (कासं)। छुट-पुट घटनाओं के साथ जोधपुर में लोकसभा महापर्व का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा का भविष्य मत पेटियों में कैद हो गया। चुनाव आयोग से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जोधपुर में कुल 63.30 प्रतिशत वोटिंग हुई है। एक घटनाक्रम में बी.जे.एस. कॉलोनी स्थिति एक बूथ पर करण सिंह उचियारड़ा के बेटे के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद उचियारड़ा और उनके समर्थकों ने बी.जे.एस. कॉलोनी के पोलिंग बूथ पर हंगामा कर दिया। उसके बाद बड़ी संख्या में उचियारड़ा के समर्थक बूथ पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। करणसिंह उचियारड़ा ने बताया कि, उसके बेटे के साथ आठ दस लोगों ने मारपीट की है, जिसके विरोध में धरने पर बैठे हैं और

- उचियारड़ा ने कहा कि, आरोपी युवकों पर कार्यवाही होने तक, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे।
- जोधपुर में मतदान का दिन कई लोगों ने खास अंदाज में मनाया। एक ही परिवार की 5 पीढ़ी के लोग एक जैसी सजधज के साथ वोट डालने पहुंचे। परिवार के सभी पुरुषों ने राजस्थानी साफा लगाया था और महिलाओं ने चुनरी की साड़ी पहनी थी।
- क्षेत्र में कुछ जगहों पर मामूली टकराव तो देखा गया, पर कहीं कोई अग्रिय घटना नहीं घटी।
- जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 58.35 प्रतिशत मतदान होने की खबर है। यहां से भाजपा की तरफ से केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मैदान में हैं।

जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। समाचार लिखने तक वे अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए थे। घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल भी वहां पहुंचा।

### दूसरे चरण में देश भर में करीब 61 प्रतिशत मतदान

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (वार्ता)। उत्तर-पश्चिम भारत में बढ़ती गर्मी के बीच लोक सभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 88 सीटों पर करीब 61 प्रतिशत वोट डाले गये। बारह राज्यों और केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर की कुल 88 सीटों पर मतदान का कुल प्रतिशत पहले चरण से भी कम रहा। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में मतदान का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा।

- बारह राज्यों और जम्मू-कश्मीर की कुल 88 सीटों पर मतदान का कुल प्रतिशत पहले चरण से भी कम रहा।

जबकि जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में 70 से लगभग 79 प्रतिशत के दायरे में मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के रात सात बजे तक के मतदान के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 54.83 प्रतिशत, बिहार में 54.91 प्रतिशत महाराष्ट्र में 54.34 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 56.60 प्रतिशत वोट (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## 'क्या जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं?'

—यादवेंद्र शर्मा—

जयपुर, 26 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं गिने जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर न्यायाधीश समीर जैन की अदालत के समक्ष 29 अप्रैल सुबह 11 बजे सुनवाई की जायेगी। इस मामले की पेचीदगी को देखते हुए अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्य वकीलों, जो इस मामले से संबंधित कानूनी तर्क वितर्क पर जिरह करने और कानूनी पक्ष रचना चाहते हैं, को भाग लेने के लिये कहा है। इस मामले में के.के. गुप्ता तथा चार अन्य याचिकाकर्ताओं ने जे.वी.वी.एन.एल. के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने 3 अप्रैल को यह आदेश पारित किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट में इस संबंध में नोटिस भी दिया गया है। जैसा कि विदित है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम तथा अन्य सरकारी निगमों, जिनमें सरकार की 100 प्रतिशत भागीदारी होती है और

### हाईकोर्ट में इस मामले में पर 29 अप्रैल को 11 बजे सुनवाई होगी

- न्यायाधीश समीर जैन की अदालत ने मामले की पेचीदगी को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्य वकीलों, जो इस मामले से संबंधित कानूनी तर्क वितर्क पर जिरह करने और कानूनी पक्ष रचना चाहते हैं, को भाग लेने के लिये कहा है।

यह निगम पूर्णतया आमजन को सेवाएं मुहैया कराने का काम करते हैं, परंतु उनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता और वे राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेंट ट्रिब्यूनल (रैट) के समक्ष अपनी सेवाओं से संबंधित मामले नहीं दायर कर सकते। गौरतलब है कि उक्त सभी निगमों को सुप्रीम कोर्ट के 1979 में दिये गये फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत 'स्टेट' (राज्य) की परिभाषा में गिना जाता है, यानि सभी सरकारी निगम, कंपनी, विश्वविद्यालय व स्कूल को राज्य की परिभाषा में ही गिना जाता है और इन

संस्थानों के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के विधिक या मूल अधिकारों को बाधित किया जाता है, तो इन संस्थानों के खिलाफ वह व्यक्ति हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर कर राहत की गुहार कर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, खाद्य निगम और नगर निगम को स्वायत्तशासी संस्था माना जाता है, परंतु इन संस्थाओं/कंपनियों को संचालित करने के लिये आई.ए.एस.या आर.ए.एस. अफसरों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। गौरतलब है कि कर्माधिकारी के अंतर्गत ही गिना जाता है और इन

आते, इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्त अफसरों को विभाग में कार्यरत होने के दौरान मिलने वाले वेतन व अन्य सुविधाओं में कटौती होती है। परंतु इनमें कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। कर्मचारियों के सेवाओं से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रमना दयानंद शेटी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के मामले में 1979 में दिये गये फैसले के अनुसार सरकारी कंपनी भी अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य की परिभाषा में ही आती है। इस फैसले ने निगमों के कर्मचारियों के दर्जे के संबंध में अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न की है।

### 'नोटा को बहुमत मिला तो नया चुनाव हो'

—जाल खंबाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 26 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के संदर्भ में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि वोटिंग मशीन में यदि "नन ऑफ द

- सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त मांग के सम्बंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भेजा।

अवोब" (एन.ओ.टी.ए.) अर्थात "नोटा" ऑप्शन बहुमत में आता है तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं। याचिका में यह मांग भी की गई कि ऐसे नियम बनाए जाएं कि नोटा से कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को अगले पांच साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## दूसरे चरण में राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर 64.60 प्रतिशत मतदान हुआ

### जबकि वर्ष 2019 में इन्हीं सीटों पर 68.42 प्रतिशत वोटिंग हुई थी

—कार्यालय संवाददाता—  
जयपुर, 26 अप्रैल। लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण में राजस्थान के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार को 64.60 प्रतिशत मतदान हुआ। वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में 68.42 प्रतिशत मतदान हुआ था। टॉक-सर्वाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां लोकसभा सीट पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इसमें ई.वी.एम. के जरिए 64.11 फीसदी वोट डले, जबकि पोस्टल बैलेट के माध्यम 0.49 प्रतिशत मतदान हुआ।

उपरोक्त 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 28 हजार 758 मतदान केन्द्र बनाए गए थे, जिन पर नव विवाहित जोड़ों, दिव्यांग,

- सबसे ज्यादा 74.25 प्रतिशत मतदान बाड़मेर में दर्ज हुआ, यहां वर्ष 2019 में 73.30 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।
- कोटा में भी इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 70.22 प्रतिशत मतदान हुआ था, पर इस बार 71.42 प्रतिशत वोटिंग हुई।
- प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में 28,758 पोलिंग बूथ बनाए गए थे।
- 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में 58.28 प्रतिशत और दूसरे चरण में 64.60 प्रतिशत मतदान हुआ। इस हिसाब से प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 61.60 प्रतिशत मतदान हुआ है।

थर्ड जेंडर, आदिवासियों, वृद्धों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक वोट डाले। प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 4

लोकसभा क्षेत्र	वर्ष 2024	वर्ष 2019
टॉक-सर्वाई माधोपुर	56.55%	63.44%
अजमेर	59.22%	67.32%
पाली	56.80%	62.98%
जोधपुर	63.30%	68.89%
बाड़मेर	73.68%	74.25%
जालोर	62.28%	65.74%
उदयपुर	64.01%	70.32%
बांसवाड़ा	72.24%	72.90%
चित्तौड़गढ़	67.83%	72.39%
राजसमंद	58.01%	64.87%
कोटा	70.82%	70.22%
भीलवाड़ा	60.10%	65.64%
झालावाड़-बारां	68.72%	71.96%

हुआ था, जिसमें 58.28 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। अगर दोनों चरणों में 25 सीटों पर हुए मतदान का कुल प्रतिशत

देखा जाए तो यह करीब 61.60 फीसदी दर्ज हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण

### बालेन्दु और अमीन खान कांग्रेस से निष्कासित

जयपुर 26 अप्रैल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक अमीन खान और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव बालेन्दु सिंह

- जालोर-सिरोही के प्रत्याशी की शिकायत पर बालेन्दु शेखावत और बाड़मेर-जैसलमेर सीट के प्रत्याशी उम्मेदराम की शिकायत पर अमीन खान को निष्कासित किया गया है। बालेन्दु पूर्व स्पीकर दीपेन्द्र सिंह शेखावत के पुत्र हैं।

शेखावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने जालोर सिरोही से उम्मीदवार वैभव गहलोत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर )